उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 902 –काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/2011–17काविनी एवं वे०प्र०/08(टी०सी०बी०) दिनांक 22 अक्टूबर, 2011

समस्त मुख्य अभियंता, (स्तर-I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।

विषय:– दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अवशेष भुगतान की प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पश्चात् अन्यत्र स्थानान्तरित हो चुके कार्मिकों के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने विषयक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं० 175–काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/09–17 काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 19.02.2009 में पुनरीक्षणोंपरान्त उल्लिखित अवशेषों के भुगतान की प्रक्रिया उक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–20 में परिभाषित की गई है।

उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश है कि ऐसे मामलों में जहाँ कोई कार्मिक दिनांक 01.01.06 के उपरान्त अन्यत्र स्थानान्तरित हो चुके हैं या प्रतिनियुक्ति के उपरान्त अपने पैतृक विभाग उ०प० पावर कारपोरेशन लि० में प्रत्यावर्तित हो चुके हैं, उनके अवशेष भुगतान की प्रकिया के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था अपनायी जायेगी :–

1) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में आमेलित कार्मिक, जिस इकाई में कार्यरत् रहे होंगे, उस इकाई में दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त किसी भी अवधि का अवशेष जी०पी०एफ०/सी०पी०एफ० में हस्तांतरित करने या अवशेष भुगतान की प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।
2) ऐसे कार्मिक, जो सेवानिवृत्त/दिवंगत हो चुके हैं, उनके दिनांक 01 जनवरी, 2006 के उपरान्त की अवधि के अवशेष का नकद भुगतान उस इकाई, जहाँ से कार्मिक सेवानिवृत्त/दिवंगत हुआ हो, के स्तर से किया जायेगा।
3) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में आमेलित कार्मिक, जो दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त की अवधि में उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् रहे थे एवं तत्पश्चात् या तो वह सेवानिवृत्त/दिवंगत हो गये हैं अथवा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को प्रत्यावर्तित हो गये हैं, उनके संगत अवधि के अवशेष का भुगतान/हस्तांतरण अक्टूबर, 2010 में सामान्य भविष्य निधि/सी०पी०एफ० में उ०प्र० पावर कारपोरेशन के स्तर से किया जायेगा। उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को प्रश्नगत अवशेष की राशि की प्रतिपूर्ति उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा की जायेगी।

(क्रमशः .... 2)

4) दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त की किसी अवधि में कार्मिक, जिस इकाई में कार्यरत् थे, उसी इकाई से आहरित वेतन का पूर्ण विवरण सत्यापित कराया जायेगा। उक्त अवधि के वेतन आहरण के उपरान्त यदि महँगाई भत्ते में कोई वृद्धि हुई है, तो यह मानते हुए कि बढ़ा हुआ महँगाई भत्ता आहरित किया जा चुका है, आहरित वेतन की सूचना तद्नुसार संशोधित मानी जायेगी।

कृपया सम्बन्धित प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(विनय किशोर श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का०विं०नी०)

<u>सं० 902 – (I) कार्विनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/11 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के विशेष कार्याधिकारी।
2- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० केस्को, कानपुर / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा / मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
7- समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
10- महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी,उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
14- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(विनय किशोर श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का०विं०नी०)